न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्रीमती टमु देवी पत्नी भूरसिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रकाशसिंह पिता भूरसिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रमेशसिंह पिता भूरसिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रवणसिंह पिता भूरसिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. संतोष देवी पुत्री भूरसिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. सोहनी देवी पुत्री भूरसिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. डूंगरसिंह पिता हीरासिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. खीमसिंह पिता हीरासिंह जी रावत, निवासी धवाला कला, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम

दिनांक 12.06.2015, प्र. सं. 29/14

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री डी.एस. चुण्डावत अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———:::———

निर्णय दिनांक

27–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण के पिता भूरसिंह व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धवला कला में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता हीरा के कब्जे काश्त की आराजीयात कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 बड़ा भाई होने से मिली भगत कर भूमि अपन नाम दर्ज करवा ली है। अतः वादी को विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–06–2015 से राजीनामा होने से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 भूरसिंह के वारिसान द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–11–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विक्रय किये जाने की बात करने पर अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 12–06–2017 को अपीलान्ट/प्रतिवादी के उपस्थित होने की कोई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 भूरसिंह की मृत्यु हो गयी थी। उक्त डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी की गयी है तथा उनके वारिसान अपीलान्टगण को कायम मुकाम नहीं बनाया गय है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजीनामा के आधार पर राजस्व कैम्प में डिक्री किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमियां अपीलान्ट के पिता भूरसिंह के नाम दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–06–2015 को अपीलान्टगण के पिता भूरसिंह के विरूद्ध डिक्री जारी की है, जबकि इस न्यायालय में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार भूरसिंह की मृत्यु दिनांक 19–03–2015 को हुई एवं वारिसान अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय में कायम मुकाम नहीं बनाया गया है। तद्नुसार उक्त डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को प्रतिवादी भूरसिंह के स्थान पर कायम मुकाम संस्थित कर उन्हें सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भ्.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनाहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।